

F-07-07

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1881/Type Approval No. 1881

मद/FOR ITEM: फाइबर ग्लास फैब्रिक एस2/34 वेराइटी-6/

Fibre Glass Fabric S2/34 Varierty-6

यह प्रमाणित किया जाता है कि विनिर्देश आईएसः 5746 के लिए मेसर्स ऊर्जा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 423, जीआईडीसी, टेलिफोन एक्सचेंज लेन, ओधव, अहंमदाबाद – 382 415, (गुजरात), द्वारा विकसित एवं उत्पादित "फाइबर ग्लास फैब्रिक एस 2/34 वेराइटी-6", को विनिर्देश सं. आईएस 5746, पार्ट- I, II, III- 1987, के अनुसार वायुयान और हेलिकॉप्टर के विभिन्न भागों में फ्यूजलेस, फेयरिंग्स, डक्ट बोक्स कवर, बेयर केस, पाइप असेंब्ली आदि में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद विनिर्देश सं. आईएस: 5746 (पार्ट- I, II, III) 1987, (द्वितीय रिविज़न) जुलाई 1988 के अनुसार आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफओएल) के समन्वय से परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Fibre Glass Fabric S2/34 Varierty-6" to Specification IS:5746, developed and produced by M/s Urja Products Pvt. Ltd., 423, GIDC, Telephone Exchange Lane, Odhav, Ahmedabad -382 415, (Gujarat), is hereby approved for production as per specification no. IS 5746 Part- I, II, III- 1987, for used as Fuselage, Fairings, duct box cover, bare case, pipe assembly, etc., in different palaces of Aircraft & Helicopter. The product has been tested in Co-ordination with RCMA (F&F- FOL), as per Specification No.: IS: 5746 (Part -I, II, III) 1987, (Second revision), July 1988. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

पृष्ठ//Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./ TA No. 1881 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ-एफओएल) से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to  $31^{st}$  December 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (F&F-FOL), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए<sup>°</sup>/Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1881

दिनांक/Date : 29 February 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल / **P.JAYAPAL** मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)

231.216